

फर्द प्रहकाम

(नियम 26)

अज बदावत अति: जिला कलेक्टर मुकान टोंक

श्रीम लाल उर्फ रामपाल वनाम लाल देवली

किरम मुकदमा अपील नं. 38/2013 सन् 2013 68/27/0/13

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स अज</p>	<p>नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	--	---

15.07.2013 अपीलान्त श्री श्रीम लाल उर्फ रामपाल ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

21 8/13

पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक श्रेष्ठ होने एवं मंगालिपिक कर्मचारी सांख्यिक अवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पत्रावली अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। P.S. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश हो।

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23.2.17

पत्रावली पेश। राजकीय पेरिकार (रे-योज)
उपग। अपीलाइट व उनके अक्रियाकृत अनुष। अपीठ
व उनके अक्रियाकृत को बार-८ रूक-रूक कर अलग
लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील
अपीलाइट अदर एजरी - अदर पेररी में रजार्ज
की जाती है। पत्रावली निर्गीत शुभ्र। देव। वाद म्प्रीत
कारिकर दफतर हो।

अतिरिक्त बिना फलेकट
दोंब